न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:– गौरव कुमार मित्तल (आर0ए0एस0)

मु0नं0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
50/2024	09.05.2024	31/10/2025

1. हनुमान दत्तक पुत्र मोती पुत्र रामफूल आयु 55 वर्ष जाति मीना पेशा खेती निवासी ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. सोमती पत्नी बदरी पुत्री मोती आयु 65 वर्ष जाति मीणा ग्राम कासमपुरा चौरू जिला टोंक
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील जिला सवाई माधोपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 88,188,91–ए,92–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1. श्री अजीजुउदीन अहमद एड0 वादी की ओर से।
2. श्री हरिशंकर बैरवा एड0 प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

:– निर्णय –:

प्रार्थी ने जरिये वकील एक दावा बाबत उदघोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा तहत धारा 88,188,91–ए,92–ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि यह कि वादी ग्राम मुई तहसील सवाई माधोपुर का स्थाई निवासी गरीब काश्तकार व्यक्ति हैं । वादी मृतक मोतीलाल पुत्र नन्दा की वसीयत दिनांक 13.07.70 के द्वारा मृतक पोती की उक्त वसीयत दिनांक 13.07.1970 के तहत खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.69 है0, ख0न0 1114 रकबा 0.01 है० ख0नं0 1115 रकबा 0.15 है०, ख०न० 1943 रकबा 0.68 है०, ख0न0 1944 रकबा 0.67 है0,ख0न0 1[illegible] 0.45 है0, ख0न0 2210 रकबा 1.21 है0, ख0न0 2211 रकबा 0.07 है०, ख0न0 221[illegible]बा 0.16 है0, ख0नं0 2315 रकबा 0.04 है0, ख0न0 2318 रकबा 1.74 है0, ख0न0 2[illegible] रकबा 0.15 है0, ख0न0 244 रकबा 0.70 है०, ख०० 864/2638 रकबा 0.04 है0, ख0न[illegible]67 रकबा 0.06 है०, ख०न० 954 रकबा 0.71 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 7.56 हेक्टेयर वाके ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर में वादी के चाचा (काका) मोती पुत्र नन्दा के नाम खातेदारी चली आ रही है। जिस पर वादी अपने पिता के जीवनकाल से ही शान्ति पूर्वक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kum
Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested

काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादी वसीयत दिनांक 13.07.1970 के आधार पर खातेदार काश्तकार है। वादी के पिता मोती की मृत्यु काफी वर्षो पूर्व हो चुकी है। वादी अपने पिता जीवनकाल से ही वाद पत्र में आराजीयात पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक काश्त करता व लगान देता चला आ रहा हैं । वादी को विवादग्रस्त आराजीयात वाद पत्र की कम सं०2 में अंकित आराजी वादी को दिनांक 13.07.70 मोतीलाल की वसीयत नामा से प्राप्त हुई है वसीयत नामा अपने पिता मोती ने अपने जीवनकाल के अन्दर ही अपनी अन्तिम इच्छा अनुसार वसीयत नामा मोती अपने पुत्र वादी हनुमान के पक्ष में अपनी आराजीयात को वसीयत अनुसार ग्राम वासियों की उपस्थिति में श्री रामचन्द्र मीना तत्कालीन प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला मुई में रामचन्द्र जी तहरीर किया गया था जिसकी तस्दीक वर्तमान सरपंच उमेशकरण ग्राम पंचायत मुई के द्वारा की गई थी। ग्राम वासियान पंच पटेलों समाज के व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर कराये और अपने अगूंठा निशानी कर दी गई वादी को अपने पिता मोती की सेवा खिदमत सेवा से खुश होकर मोती ने अपनी आराजीयात की वसीयत के जरिये हनुमान को दे दी जो मेरे सगे भाई का लडका है और मेरे पास ही रहता है मेरी सेवा खिदमत करता चला आ रहा है इसकी सेवा खिदमत से खुश होकर अपनी खातेदारी की आराजीयात वाद के मद नं0 2 में अंकित आराजीयात को दे दी गई हैं। वसीयतनामा के आधार पर मृतक पिता मोती की समस्त आराजीयात चल व अचल सम्पत्ति का एक मात्र मालिक वादी को घोषित किया था इसलिए वादी अपने पिता के द्वारा छोडी गई आराजीयात का एक मात्र वारिस उत्तराधिकारी पुत्र होने से वादी स्वामित्व मालिक है और वादी अपने पिता के जीवनकाल से आज तक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वसीयत नामा पर मोती ने अपनी अपनी निशान (अगूंठा) लगा कर अपनी अन्तिम इच्छा जाहिर कर वसीयत नामा लिख कर वादी का दे दिया गया था। वादी अनुसूचित जनजाति मीणा जाति में आते है प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहन है मीना जाति में कानूनन हिन्दू सक्सेशन लागू नही होता है हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 2 के तहत तथा पैतृक मोती की आराजीयात से उपर कोई कानूनी अधिकार भी नही है। नासन्तान मृत्यु पर अपने भाईबन्धों काका, भतीजों का ही अधिकार होता है हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 धारा 2 के प्रावधानों का उपयोग 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर लागू नही होते विवाहित पुत्री का भी कोई अधिकार नही रहता है जो कानूनन स्पष्ट हैं। वादी के बुजुर्ग मोती पुत्र नन्दा मीना के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात [illegible] मद नं० 2 में अंकित आराजी वाके ग्राम मुई तहसील स०मा० मोती पुत्र नन्दा मीना [illegible] वादी हनुमान को दत्तक पुत्र को वसीयत के अनुसार दत्तक पुत्र वारिसान व उत्तराधिकारी है। मोती जब तक जिन्दा रहे उक्त विवादित आराजीयात को काश्त करके लगान सरकार [illegible]दा करते रहे उनकी मृत्यु उपरान्त समस्त आराजीयात पर वादी हनुमान के ही कब्जे काश्त में रही है मोती के देहान्त पश्चात् वादी के ही कब्जे उपयोग उपभोग में निरन्तर व निर्बाध चली आ रही हैं। वादी मृतक मोतीलाल की मृत्यु उपरान्त समस्त क्रियाकर्म हिन्दू रीति रिवाज के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार वादी ने ही सम्पन्न किये है वादी अपने पिता मोती की अस्थियों को लेकर गंगा भी गया एवं पिण्ड दान किया और मोती की पगडी भी वादी के ही समाज रीति से बंधी थी । वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विवादित आराजी दर्ज दावा को मृतक मोती की खातेदारी से हटवाकर अपने नाम दर्ज रिकॉर्ड करवाये एवं समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड व रिकॉर्ड ऑफ राईटस् को जमाबन्दी खाना नं0 4 में दर्ज करवावे एवं विवादित आराजीयात दर्ज दावा वादी के कब्जे उपयोग उपभोग में कोई बाधा पेदा नही करें। वादी पिता मोती लाल पुत्र नन्दा मीना ग्राम मुई की मृत्यु हो जाने पर वादी ने मुताबिक वसीयत नामा दिनांक 13.07.1970 के अपने नाम खातेदारी लगाने के लिए तहसीलदार सवाई माधोपुर एवं हल्का पटवारी को अनेको बार प्रार्थना पत्र पेश किया गया लेकिन हल्का पटवारी रेवन्यू कर्मचारियों टालमटोल करते रहे कि राजस्व अभियान में लगायेगें । विनाय दावा दिनांक 20.04.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर विवादित आराजीयात के मोती पुत्र नन्दा के नाम खातेदारी दर्ज होने की बात कहने पर एवं वादी को मौके से बेदखल कर कब्जा करने की धमकी देने पर तत्पश्चात् वादी द्वारा वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावें । उद्घोषणा इस अमर की फरमाई जावें कि विवादित आराजी दर्ज दावा मद नं० 2 वाके ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर का वादी खातेदार काश्तकार है तदानुसार मोती पुत्र नन्दा के स्थान पर रेवेन्यू रिकॉर्ड वादी के नाम खातेदारी दर्ज करवाकर समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरूस्त कराने का अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं। विवादित आराजी दर्ज दावा मद नं0 2 वाके ग्राम मुई तहसील व जिला स0मा0 मृतक वादी पिता मोती पुत्र नन्दा के स्थान पर वादी हनुमान के मृतक पिता मोती के खाते में दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें कि वादी के मृतक मोती द्वारा की गई वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण आराजीयात को अपने नाम लगाने का अधिकारी है तथा तदानुसार समस्त रेवेन्यू रिकॉर्ड एवं रिकॉर्ड ऑफ राईट्स को दुरूस्त फरमाया जावें। वादी हनुमान का नाम मृतक मोती के स्थान पर वादी हनुमान का नाम दर्ज किया जावें । प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वे विवादित आराजी दर्ज दावा मद नं० 2 वाके ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर के वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में माने मजाहमत नही डाले कोई बाधा ना ही विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्ति या संस्था को रहन–बय मुन्तकिल करें। अन्य दादरसी जो मुफीद जो वादी के हक में खिलाफ प्रतिवादी हो प्रदान की जावें ।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र के मुताबिक जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें उल्लेख किया है कि वाद पत्र की कम संख्या 1 स्वीकार हैं। वाद पत्र की कम संख्या 2 स्वीकार है वादी प्रतिवादी का भाई है और प्रतिवादी के पिता मोती पुत्र नन्दा का दत्तक पुत्र है और वादी हनुमान के हक में वसीयत नामा दिनांक 13.07.1970 लिख के दे दी गई थी मुन्ताविक वसीयत नामा के वादी अपने पिता की चल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested

अचल सम्पति व आराजीयात का एक मात्र मालिक स्वामी उत्तराधिकारी है मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकारी लागू नही होता एसटी पुत्रियों को अपने पिता की आराजी में कोई अधिकार भी नही है। वाद पत्र की कम संख्या 3 स्वीकार है वादी वर्णित आराजी पर अपने पिता के समय से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। वाद पत्र की कम संख्या 4 स्वीकार है वादी हनुमान को प्रतिवादी के पिता गोद लेकर वादी की सेवा खिदमत से शुश्रुसर होकर वादी के हक में वसीयत नामा गांव व समाज, बिरादरी के मोतबीर जिम्मेदारों के समस्त वसयीत नामा लिखकर दे दिया गया था और वादी आज तक हम प्रतिवादी को मान सम्मान से मानता चला आ रहा हैं। वाद पत्र की कम संख्या 5 स्वीकार है मीणा जाति में अपने पिता की छोडी गई आराजीयात में कोई हक अधिकार भी नही रहता ना प्रतिवादी अपने पिता की आराजी में कोई हक अधिकार मांगा है जबकि मेरे पिता ने ही वादी के हक में वसीयत कर दी है तो भी हमारे पिता की अन्तिम इच्छा का सामान समान करने की प्रतिवादी बाध्य है। प्रतिवादी अपने पिता की आराजी में कोई हक नही चहाती है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी भाई हनुमान के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित किया जावें । वाद पत्र की कम संख्या 6 स्वीकार हैं। वाद पत्र की कम संख्या 7 स्वीकार हैं। वाद पत्र की कम संख्या 8 स्वीकार है प्रतिवादी के पिता मृतक मोती के स्थान पर वादी के भाई हनुमान का नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी अंकित किया जावें और मोती का नाम हफ्ज किया जाकर हनुमान पुत्र दत्तक मोती दर्ज किया जावें। वाद पत्र की कम संख्या 9 स्वीकार है। वाद पत्र की कम संख्या 10 स्वीकार है वर्णित आराजीयात पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा हैं। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिकी किया जाकर प्रतिवादी पिता मोती का नाम हफ्ज कर उसके स्थान पर वादी हनुमान का नाम दर्ज किया जावें ।

वादी ने अपने वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी चौसाला खाता संख्या 271 (मोती पुत्र नन्दा मीना सं0 2074–77), फोटो वसीयत नामा दिनांक 13.07.1970 (मोती बहक हनुमान), नकल खसरा गिरदावरी वर्ष 2024, छायाप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुई, के दस्तावेज पेश किये तथा साक्ष्य में पी0डब्लू–1 हनुमान दत्तक पुत्र मोती पुत्र रामफूल जाति मीना द्वारा शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सूनी। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस की तथा बहस में बताया है कि वादी को मृतक मोतीलाल पुत्र [illegible] वसीयत दिनांक 13.07.70 के द्वारा मृतक पोती की उक्त वसीयत दिनांक 13.07.1970 [illegible] हित [illegible] धारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.69 है0, ख0न0 1114 रकबा 0.01 [illegible] ख0नं0 1115 रकबा 0.15 है०, ख०न० 1943 रकबा 0.68 है०, ख0न0 1944 [illegible] ख0न0 1948 रकबा 0.45 है0, ख0न0 2210 रकबा 1.21 है0, ख0न0 2211 रकबा 0.07 है०, ख0नं0 2212 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 2315 रकबा 0.04 है0, ख0न0 2318 रकबा 1.74 है0, ख0न0 243 रकबा 0.15 है0, ख0न0 244 रकबा 0.70 है०, ख०० 864 / 2638 रकबा 0.04 है0, ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested

867 रकबा 0.06 है0, ख0न0 954 रकबा 0.71 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 7.56 हेक्टेयर वाके ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर में वादी के चाचा (काका) मोती पुत्र नन्दा के नाम खातेदारी चली आ रही है। जिस पर वादी अपने पिता के जीवनकाल से ही शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादी वसीयत दिनांक 13.07.1970 के आधार पर खातेदार काश्तकार है। वादी के पिता मोती की मृत्यु काफी वर्षों पूर्व हो चुकी है। वादी अपने पिता जीवनकाल से ही वाद पत्र में आराजीयात पर काबिज होकर शान्ति पूर्वक काश्त करता व लगान देता चला आ रहा है । वादी को दिनांक 13.07.70 मोतीलाल की वसीयत नामा से प्राप्त हुई है वसीयत नामा अपने पिता मोती ने अपने जीवनकाल के अन्दर ही अपनी अन्तिम इच्छा अनुसार वसीयत नामा मोती अपने पुत्र वादी हनुमान के पक्ष में अपनी आराजीयात को वसीयत अनुसार ग्राम वासियों की उपस्थिति में श्री रामचन्द्र मीना तत्कालीन प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक पाठशाला मुई में रामचन्द्र जी तहरीर किया गया था जिसकी तस्दीक वर्तमान सरपंच उमेशकरण ग्राम पंचायत मुई के द्वारा की गई थी। ग्राम वासियान पंच पटेलों समाज के व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर कराये और अपने अगूंठा निशानी कर दी गई वादी को अपने पिता मोती की सेवा खिदमत सेवा से खुश होकर मोती ने अपनी आराजीयात की वसीयत के जरिये हनुमान को दे दी जो मेरे सगे भाई का लडका है और मेरे पास ही रहता है मेरी सेवा खिदमत करता चला आ रहा है इसकी सेवा खिदमत से खुश होकर अपनी खातेदारी की आराजीयात को दे दी गई हैं। वसीयतनामा के आधार पर मृतक पिता मोती की समस्त आराजीयात चल व अचल सम्पत्ति का एक मात्र मालिक वादी को घोषित किया था इसलिए वादी अपने पिता के द्वारा छोडी गई आराजीयात का एक मात्र वारिस उत्तराधिकारी पुत्र होने से वादी स्वामित्व मालिक है और वादी अपने पिता के जीवनकाल से आज तक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी अनुसूचित जनजाति मीणा जाति में आते है प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहन है मीना जाति में कानूनन हिन्दू सक्सेशन लागू नही होता है हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 2 के तहत तथा पैतृक मोती की आराजीयात से उपर कोई कानूनी अधिकार भी नही है। नासन्तान मृत्यु पर अपने भाईबन्धों काका, भतीजों का ही अधिकार होता है हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 धारा 2 के प्रावधानों का उपयोग 1956 के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर लागू नही होते विवाहित पुत्री का भी कोई अधिकार नही रहता है जो कानूनन स्पष्ट हैं। वादी के बुजुर्ग मोती पुत्र नन्दा मीना के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात के मद नं० 2 में अंकित आराजी वाके ग्राम मुई तहसील स०मा० मोती पुत्र नन्दा मीना को हनुमान को दत्तक पुत्र को वसीयत के अनुसार दत्तक पुत्र वारिसान व उत्तराधिकार है। अतः वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने अपनी बहस के दौरान नजीर पेश की जो निम्नानुसार है:-

1- **SUPREME COURT OF INDIA [Civil Appeal No. 6901 of 2022; decided on 9.12.2022] Kamla Neti (Dead) Thro' LR's. Vs. Special Land Acquisition Officer [Citation:**

2022(4) DNJ (SC) 1484] --- Hindu Succession Act, 1956-Sec. 2(2)-Land Acquisition Act, 1894 Secs. 30 & 4-Acquisition of land-Dispute with regards to the apportionment of the compensation amount Compensation awarded ₹ 5,97,35, 754/- Appellants daughter of Chakradhar claimed 1/5th share in the amount of compensation-Reference Court rejected the claim on the ground that provisions of Hindu Succession Act are not applicable and therefore daughters are not entitled to share in the amount High Court affirmed the judgment High Court rightly observed that the appellant cannot claim any right under the Hindu Succession Act in view of Sec. 2(2) unless the amendment is made in Sec. 2(2) of the Act--- Appellants cannot claim any right in the property of the father-Held, Appeal is dismissed with the directions to the Central Government to consider the amendment in Sec. 2 (2) of the Act.

2- 2006(2) RRT 1215 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER SHRI M.S. KHAN: MEMBER Moolchand vs. Mangli & Ors. Revision No. 10844/Jaipur of 2001; decided on 21st Mar., 2006 Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 135 & 84-Hindu Succession Act, 1956-Sec. 2-'G' died issueless & on the basis of succession, mutation attested in the name of 'M'-Non-petitioner 'M' challenged the order in ap- peal-Appeal allowed & order set aside & case remanded-Addl. Divisional Commissioner also upheld the order-Revision-Parties are 'Meena' by caste & provisions of Hindu Succession Act are not applicable-Parties are gov- erned by customary law-Respondent No.1 & 2 are not entitled to any share in the property-Appellant is the younger brother of deceased 'G'-Held, order passed by S.D.O. & Addl. Divisional Commissioner are illegal & set aside & order of Gram Panchayat is restored.

3- 2016(2) RRT 1437 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER Babu lal & Ors. vs. Ram singh & Ors. Appeal No. 9616/Baran of 2009; decided on 3rd Aug., 2015–राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55, 89, 90, 53 व 188 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 धारा 2 – चार पुत्रियो का नाम रेकॉर्ड में प्रविष्ट किया और उनके नाम नामान्तकरण खोला– प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 अनु. जनजाति के सदस्य है– हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है– सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार नही– विधि के समवर्ती निष्कर्ष – निर्णीत हस्तक्षेप अस्वीकार किया।

प्रकरण में वकील प्रतिवादी संख्या 1 की बहस सूनी। वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब के अनुसार बहस की तथा वादी के वाद पत्र की डिकी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा वाद पत्र व अपीलकर्ता का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम मुई के खाता संख्या 271 में अंकित खसरा नम्बर 1114, 1115, 1943, 1944, 1948, 2210, 2211, 2212, 2315, 2318, 243, 244, 86, 638, 867, 954 कुल किता 16 कुल रकबा 7.56 हैक0 स्थित है। उक्त भूमि मोती पुत्र जाति मीना के नाम दर्ज है। मोती पुत्र नन्दा की मृत्यु हो चुकी है। मृतक मोती द्वारा एक वसीयात वादी के नाम दिनांक 13.07.1970 को थी। प्रतिवादी संख्या 1 मोती की एक मात्र पुत्री है जिसके द्वारा भी अपने जवाब में वादी के नाम उक्त भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र में भी वादी को मोती की भूमि का उत्तराधिकारी माना गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:33 IST
Reason: Attested

है। अतः वकील वादी के वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा होती है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 धारा 2 के अनुसार सम्पत्ति में पुत्रियों का अधिकार नहीं होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:- क्रियात्मक आदेश -:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम मुई के खाता संख्या 271 में अंकित खसरा नम्बर 1113, 1114, 1115, 1943, 1944, 1948, 2210, 2211, 2212, 2315, 2318, 243, 244, 864/2638, 867, 954 कुल किता 16 कुल रकबा 7.56 है०० भूमि का वादी (हनुमान दत्तक पुत्र मोती पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर) को खातेदार घोषित किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार डिक्री जारी की जावें। वादी की खातेदारी भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं बहन करे। निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 ....को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

(गौरव कुमार मित्तल)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2026.01.09 17:00:33 IST
Reason: SelfAttested